कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

ई–पंजीकरण की सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित कुश्मी एन्क्लेव आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित 2BHK, 3BHK व 3BHK+SERVANT ROOM श्रेणी के फ्लैटों का ई–लाटरी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक–20.01.2026 से 25.03.2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था, प्राप्त आवेदकों के मध्य ई–लाटरी दिनांक–07/04/2026 को सम्पन्न होगी। रिक्त फ्लैट्स के आवंटन हेतु दिनांक– 01 /04 /2026 से 30 /04/2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। दिनांक– 01 /04 /2026 से 30/04/2026 तक प्राप्त आवेदकों के मध्य सम्पन्न होने वाली ई–लाटरी की सूचना अलग से दी जायेगी। उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdagkp.in पर उपलब्ध है, जिस पर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

(पुष्पराज सिंह)
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित "कुश्मी एन्क्लेव" आवासीय योजना

के अन्तर्गत **2 B.H.K.**, **3 B.H.K.** एवं **3 B.H.K. + SERVENT ROOM** फ्लैटों का ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक– 01 /04 /2026 पंजीकरण समाप्ति दिनांक– 30 /04 /2026

आवासीय फ्लैटों का विवरणः–

क0 सं0	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	अनुमानित मुल्य	पंजीकरण धनराशि(रूपये में)		आवंटन शुल्क 25 प्रतिशत	आवंटन शुल्क 30 प्रतिशत	अवशेष धनराशि (रूपये में)	अवशेष धनराशि 2.5 वर्ष की 10 समान त्रैमासिक किश्तों में। (ब्याज रहित)
						सामान्य 10 प्रतिशत	आरक्षित 5 प्रतिशत	सामान्य	आरक्षित	65 प्रतिशत	
01	**2 B.H.K.**	57	62.54	80.00	54,10,000.00	5,41,000.00	2,70,500.00	13,52,500.00	16,23,000.00	35,16,500.00	3,51,650.00
02	**3 B.H.K.**	128	99.48	128.25	88,65,000.00	8,86,500.00	4,43,250.00	22,16,250.00	26,59,500.00	57,62,250.00	5,76,225.00
03	**3 B.H.K. +SERVANT ROOM**	60	118.87	145.22	1,00,40,000.00	10,04,000.00	5,02,000.00	25,10,000.00	30,12,000.00	65,26,000.00	6,52,600.00

पंजीकरण हेतु क्या करें:–

1– पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0–500.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

2– निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

3– विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:– फोन नं0 0551–2230132, टोल फ्री नं0–18001202246

सचिव उपाध्यक्ष